

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 1390 / जयपुर/49902-03

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुंठा अगवान
शिक्षा समिति, जयपुर जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।


यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 28 माह फरवरी सन एक-हजार-तीस-वीं हजार तीन
को जयपुर में किया गया।




रजिस्ट्रार संस्था

जयपुर संस्था

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 (जयपुर) 69



आवेदन प्रपत्र



नाम पता जिला	पेशे का नाम पता जिला
--------------------	----------------------------



गणपथ - पत्र का प्रपत्र

कृष्ण विद्या

हम विन्म हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था श्री अभावान कृष्ण विद्या के सशपथ पूर्वक धारणा करते हैं कि :-
श्री अभावान जयपुर कृष्ण विद्या समिति

अवेदक सदस्य हैं।

1. हमारी प्रस्तावित संस्था श्री अभावान कृष्ण विद्या समिति के पंजीयन हेतु कुल..... अवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। अवेदक सदस्य अन्य किसी समाज उद्देश्य वाली संस्था / समिति के सदस्य / पदाधिकारी नहीं हैं।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की विन्तु सं 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 10 के अन्तर्गत उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं। अनुसार संस्था की कां गारिणी के पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति के किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्याजित लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई थीं न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रशासनिक सदस्य को निजी व्याजित लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जायेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाये.....
8. भविष्य में उक्त विन्तु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्य का विचार करके प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाये, जयपुर को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

संजी

कोषाध्यक्ष

संस्थापन

हम उपरोक्त शपथ धारणा संस्थापित करने के लिए विन्तु सं 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी में नहीं है, कोई भी तथ्य दिखाया नहीं गया है। उपरोक्त संस्था के विचारों और विचारों को प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाये को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

संजी

कोषाध्यक्ष

नोट :- यह शपथ पत्र शपथी/के द्वारा पर होगा तथा नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करना होगा।

विधान / संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन / परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक नाह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या / उपस्थित सदस्यों की संख्या / विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2 / 3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्युच्चि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था राजस्वीकरण अधिनियम - 956 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधन किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही नूल पंजीकृत प्रमाण-पत्र स्तान करें।

Signature

R
DISH

Signature

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (विद्यमानवली)
तथा
संघ-विधान पत्र

प्रथम आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) प संघ विधान पत्र भिन्न मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुरूप इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सुचित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिए क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि क्रम संख्या 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। माक्षीण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. **सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात :-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, (खादी और ग्रामोद्यान), स्नाहृत्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये बुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगधियों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां प्राकृतिक इतिहास व संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्याक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्याक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उचित तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

1. राज. राज-पत्र नियमक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(2)

Signature

92

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7 एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, गौहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक राज्य हीने चाहिये।
15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तां उपयुक्त रहेगा।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदक प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रों में अंकित पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले ही तो उपयुक्त रहेगा।
19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उन्नत बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हों।
21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चाल प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
22. अधिसूचना क्रमांक P. 4 (5) कृषि-4/सह/91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

Signature

10

Signature

श्री अनावाचन कृष्ण शिक्षा समिति

समिति / सैसाइटी / संस्थान / संस्था

संघ विधान-पत्र

संस्था का नाम :

इस संस्था का नाम श्री अनावाचन शिक्षा समिति अनावाचन

समिति / सैसाइटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।

पंजीकृत कार्यालय :

इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 119/1404 अनावाचन का

तथा कार्यक्षेत्र

अनावाचन अनावाचन
तथा इसका कार्यक्षेत्र अनावाचन अनावाचन तब समिति होगा।

संस्था के उद्देश्य :

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. विना किसी भी शर्त लाना और शिक्षा का चार चरण तक
2. नारीय एवं अखण्ड वन्देयों को निश्चल, शिक्षा प्राप्त करना
3. भौतिक, आर्थिक आधार रखे वन्देयों का स्वयंसेवा विकास करना
4. वन्देयों में स्वयंसेवा एवं मददगार का विकास करना
5. वन्देयों के स्वयंसेवा विकास हेतु योग्य आधार करना
6. वन्देयों में समाज, परिवार के प्रति देशभक्ति प्र
7. लाना और की आवाज प्रदान करना।
8. स्वयंसेवा के आधार पर शिक्षा देना
9. विद्यालयों में अन्वेषण, आत्मनिर्भरता
10. का विकास करना
11. शिक्षा / अनावाचन / अनावाचन एवं अन्य आवाजों का आधार
12. लाना और की प्रकृति आवाज करना।
- 13.
- 14.
- 15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

श्री अनावाचन
अनावाचन

मनी
(4)

अनावाचन

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री हरिवंशर पाठेय	व्यापकतापी	119/72 अन्धाला मार्ग गिरा गिरा 1952	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शशिबती शर्मा	अंतरात्मिक	119/404 अन्धाला मार्ग अन्धाला गिरा 1952	सचिव
3.	राजेश्वर सिंह S/O रामदास साविकिया सिंह	अध्ययन	C-250 सिद्धार्थ मठर जयपुर	कोषाध्यक्ष
4.	श्री राजवीर सिंह	खेती	गौधुलगाणपुर 340111	उपाध्यक्ष
5.	श्री बाल वीर सिंह S/O श्री देवीबाल भाद्रव	गणकर्मचारी	645 सुप्रीमकार गेणसल वाहीपारस जयपुर	सदस्य
6.	श्रीमती आशा शर्मा S/O गुरु सिंह	अध्ययन	119/404 अन्धाला मार्ग गिरा गिरा 1952	सदस्य
7.	श्री भिरानवीर सिंह S/O श्री डूंगर सिंह	व्यापकतापी	गौधुलगाणपुर गिरा गिरा 1952	सदस्य
8.	श्रीमती चन्द्रवती S/O श्री गुरु सिंह	अध्ययन	119/404 अन्धाला मार्ग गिरा गिरा 1952	सदस्य
9.	श्री चंद्रशेखर सिंह	व्यापकतापी	अन्धाला मार्ग (कालिदास) 233 जयपुर	सदस्य
10.	श्री अंगवीर सिंह S/O श्री गणेश सिंह	कर्मचारी (पुलिस)	1011 सुभाष नगर जयपुर जयपुर	सदस्य
11.	डा. अज्ञान चंद्रवती S/O डॉ. राजेश्वर सिंह	बेनेजर	सुभाष नगर जयपुर	सदस्य
12.	श्री डाक्टर सिंह डॉ. डा. रामपाल शर्मा	बेनेजर	सुभाष नगर जयपुर	सदस्य
13.	श्री राजकुमार शर्मा	व्यापकतापी	अन्धाला मार्ग गिरा गिरा 1952	सदस्य
14.	श्री अमल शर्मा	व्यापकतापी	अन्धाला मार्ग गिरा गिरा 1952	सदस्य
15.				

M. S. D. S.
अध्यक्ष

संख्या
12 (5)

कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस सब विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री. हरिभाकर पांडेय 5/0 श्री हरिदेव पांडेय	उद्योगी	119/72 इमाजालाबाग मानसपुर जयपुर 119/404 3172 कांठान जोगिपुर जयपुर	श्री. हरिभाकर पांडेय
2.	श्री. राजेश्वर सिंह	उद्योगी	C-290 सिद्धांत नगर जयपुर	श्री. राजेश्वर सिंह
3.	श्री. रमेश चंद्र सिंह श्री. रामचंद्र सिंह	शेखरी	गाँव - जोगिपुर जयपुर	श्री. रमेश चंद्र सिंह
4.	श्री. रमेश चंद्र सिंह	शेखरी	गाँव - जोगिपुर जयपुर	श्री. रमेश चंद्र सिंह
5.	श्री. बलवीर सिंह भादव श्री. लक्ष्मीलाल भादव	रिजलेंस अडवायका	119/404 जोगिपुर जयपुर आर. आर. आर.	श्री. बलवीर सिंह
6.	श्री. अशोक कुमार	अडवायका	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. अशोक कुमार
7.	श्री. निरानंद सिंह श्री. डारम सिंह	खेती	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. निरानंद सिंह
8.	श्री. गिरीश चंद्र सिंह श्री. अशोक सिंह	अडवायका	119/404 जोगिपुर जयपुर जयपुर	श्री. गिरीश चंद्र सिंह
9.	श्री. अशोक सिंह	उद्योगी	119/404 जोगिपुर जयपुर जयपुर	श्री. अशोक सिंह
10.	श्री. जगदीश सिंह श्री. नारायण सिंह	उद्योगी	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. जगदीश सिंह
11.	श्री. राजेश चंद्र सिंह श्री. राजेश चंद्र सिंह	उद्योगी	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. राजेश चंद्र सिंह
12.	श्री. अशोक सिंह श्री. अशोक सिंह	उद्योगी	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. अशोक सिंह
13.	श्री. राजेश चंद्र सिंह श्री. राजेश चंद्र सिंह	उद्योगी	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. राजेश चंद्र सिंह
14.	श्री. अशोक सिंह श्री. अशोक सिंह	उद्योगी	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. अशोक सिंह
15.	श्री. अशोक सिंह श्री. अशोक सिंह	उद्योगी	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. अशोक सिंह
16.	श्री. अशोक सिंह श्री. अशोक सिंह	उद्योगी	गाँव - जयपुर जयपुर	श्री. अशोक सिंह

श्री. अशोक सिंह

(6)

श्री. अशोक सिंह

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : श्री आजादान कृष्ण शिक्षा शिक्षा समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।
राजिगिरी

2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 119/104 मीनसरे वर है
तथा कार्यक्षेत्र : जयपुर
तथा इसका कार्यक्षेत्र : जयपुर विकास प्राण/दीर्घाक्षेत्र का भीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. जिना किरपी गानि धर्म तथा विजां भेदु शिक्षा का प्रसार - प्रचार करना
2. शरीर तेज अस्पृश्य धर्मियों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना
3. मनोवैयक्तिक आधार से धर्मियों का तबदीगीण विकास करना
4. धर्मिकों में शान्ति एवं समुत्पन्नता का विचार करना
5. शिक्षा का तबदीगीण विकास हेतु योजनाएं बनाना
6. रजवशा, समाजो - परिवार के जिन देश अफी - डिप
7. लघा सेवा से जावना प्रदान करना।
8. रजम - रजेल के आधार पर शिक्षा देना
9. शिक्षा विभागों के अंतर्गत, राज्यालय, अन्वयिग
10. का विकास करना
11. डि-सी / अंजोरी / प्रे-डूट - लेव अन्य आवाकों का कार्य / धारणों का कार्य करना।
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

श्रीमान
अध्यक्ष

पंजी (8)

काय/व्यवस्था

4. संस्थिता

: निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पगल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण

: संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- | | |
|-------------|-----------|
| 1-संरक्षक | 2-विशिष्ट |
| 3-सम्माननीय | 4-साधारण |
- (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

: उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 1-संरक्षक | राशि 10000/- | वार्षिक/आजन्म |
| 2-विशिष्ट | राशि 2000/- | वार्षिक/आजन्म |
| 3-सम्माननीय | राशि 2000/- | वार्षिक |
| 4-साधारण | राशि 1000/- | वार्षिक |

उपर्युक्त एक मुरत अध्याय ...
की मासिक दर से जना कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन

: संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
- 2-त्याग पत्र देने पर
- 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दीयी पाये जाने पर

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

8. साधारण सभा

: साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किए गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

अध्यक्ष

सन्

(9)

कार्यालय

10. साधारण सभा की बैठके

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकती जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकती। ऐसी स्थिति बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी चाहे, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाई जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकते तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सर्व 11

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदानाम परिवर्तन किये जा सकते हैं, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहिए तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व सदस्य कुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- दैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के तिरार्थ हों, करना।

अध्यक्ष
अध्यक्ष

मन्त्री

5- कोषाध्यक्ष :

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

- 1- कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में
- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा।

16. संस्था का कोष :
 कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में
 कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में
 कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में
 कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में
 कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

- 1- अध्यक्ष... 5,000/-
 - 2- मन्त्री... 1,000/-
 - 3- कोषाध्यक्ष... 1,000/-
- उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।
- संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

18. संस्था का अंकेक्षण

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा शोधन किया जा सकेगा जो राजस्वगत राजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

19. संस्था का विधान

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व उचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

20. संस्था का निरीक्षण

राजिस्ट्रार संस्था... को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों को पूर्ति की जायेगी।

21. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमवली)...

संस्था/सोसायटी/संस्था... को सही व सही प्रति है।

अध्यक्ष

राजिस्ट्रार संस्था... को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों को पूर्ति की जायेगी।

कोषाध्यक्ष

निविद्यित प्रबंधक भी के आगोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

म निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था एडि आगवन एकल शिक्षा समिति के सशपथ घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी संस्था का पंजीयन दिनांक है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य / 5 है।
3. संस्था की आमसभा दिनांक को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी वा वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपयुक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सदस्यों में आमसभा सदस्य कार्यकारिणी का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी 10 दिनों आदि में प्रस्तुत करने हेतु बाहिर।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक की सूचना का नोटिस दिनांक को समस्त सदस्यों को सूचनाार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त हिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद काश में आने पर भी कोई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का शक्तिस्तर प्राप्त है, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।


अध्यक्ष


मंत्री


कोषाध्यक्ष




सत्यापन

हम उपर्युक्त शपथ ग्रहित प्रस्तावित करते हैं कि हिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सत्य हैं। कोई भी तथ्य भ्राम्यक नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर शक्तिस्तर संस्थापक, जयपुर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।


अध्यक्ष

मंत्री


कोषाध्यक्ष



40 वर्षों से

धुइला के शैले हैं

नये आयात

प्रशासन करनी

राज्य-शासन

की

शक्ति

राज्यकारी

राज्य

राज्य सरकार के विभागीय एवं सभी सहकारी संस्थाओं के मुद्रण के लिए अति उत्तम

राज्य-शासन राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड

ऑफिस-1/138, भारतीय स्वतंत्रता परिषद, का. गुं-302 017 फोन : 751352, 751417

श्री कृष्ण भगवान शिक्षा समिति

119/404, थडी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

प्रस्ताव 56

श्री कृष्ण भगवान शिक्षा समिति की दिनांक 25/03/2018 को निर्धारित प्रस्ताव के अनुसार सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी के निर्देशानुसार चुनाव सम्पन्न करार गए । जिसमें पुराने पदाधिकारी एवं सदस्यों का पुनः अनुमादन किया गया। यह चुनाव पूर्व कार्यकारिणी सदस्यों, पदाधिकारियों एवं नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा बिना किसी विवाद के सम्पन्न हुआ । चुनाव के दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ । यह कार्यकारिणी 26/03/2018 से प्रभावी होगी । सचिव के अधिकार पूर्व की भांति यथावत् रहेंगे। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि सचिव निम्न कार्यकारिणी का अनुमादन कराए।

क्रम	नाम	पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद	हस्ताक्षर
1	श्री धर्मवीर सिंह	श्री डालचन्द सिंह	विजानिस	राधा मथुरा	अध्यक्ष	
2	श्रीमती रामवती सिंह	श्री इंगर सिंह	विजानिस	119/104, मानसरोवर जयपुर	सचिव	
3	श्री गुलवीर सिंह	श्री सोदान सिंह	विजानिस	एस.एफ.एस. जयपुर	उपाध्यक्ष	
4	श्री अरुण सिंह	श्री सोनवीर सिंह	विजानिस	119/409 अग्रवाल फार्म जयपुर	कोषाध्यक्ष	
5	श्री रणवीर सिंह	श्री दुर्जन सिंह	कृषि	जयलपुर, अलीगढ़	सदस्य	
6	श्री रामकुमार शर्मा	श्री नत्थी ताल	व्याख्याता	भरतपुर	सदस्य	
7	श्री अमरी सिंह	श्री महेंद्र सिंह	प्रिंसीपल	सदर चौराहा, मथुरा	सदस्य	
8	श्री आई.डी.शर्मा	श्री आर. पी. शर्मा	व्याख्याता	सांगानेर, जयपुर	सदस्य	
9	श्री डॉ. अजय चौधरी	श्री रामशरण चौधरी	मैनेजर	सेक्टर-28, फरीदाबाद	सदस्य	
10	श्रीमती बन्धारीमल करार	श्री महेंद्र सिंह जो	गृहिणी	119/404 मानसरोवर जयपुर	सदस्य	
11	श्री धर्मवीर सिंह	श्री इंगर सिंह	कृषक	सदाबाद, आगरा	सदस्य	
12	श्री हरि नारायण	श्री आर.एम.मीणा	कर्मचारी	शिवदासपुरा, जयपुर	सदस्य	
13	श्री किशनवीर सिंह	श्री इंगरपुर	भूतपूर्व सैनिक	बटपुरा, जिला - हाथरस	सदस्य	
14	श्री मन्दीर सिंह	श्री हरी लाल यादव	राज्य कर्मचारी	645, सूर्यनगर, गोपालपुरा बार्डपार	सदस्य	
15	श्रीमती विजय मिलल	श्री दुर्गालाल	गृहिणी	मालवीय नगर	सदस्य	
16	श्री धर्मवीर सिंह	श्री दुर्जन	व्यवसाय	बड़ोडाखेर, अलीगढ़	सदस्य	
17	श्री सुरेश श्रीवास्तव	श्री ए.ए.श्री वास्तव	व्याख्याता	233, सम्राट नगर, जयपुर	सदस्य	
18	श्री एम सी शर्मा	श्री सुभाष शर्मा	इंजिनियर	केशोपुर जिला - मथुरा	सदस्य	
19	डॉ. पूनम टांक	श्री सुभाष शर्मा	प्राचार्य	5 ए विवेकानन्द मार्ग सी स्क्री	सदस्य	

श्री कृष्ण भगवान शिक्षा समिति
119/404, अग्रवाल फार्म
मानसरोवर, जयपुर-20

श्री कृष्ण भगवान शिक्षा समिति
119/404, अग्रवाल फार्म
मानसरोवर, जयपुर-20

श्री कृष्ण भगवान शिक्षा समिति
119/404, अग्रवाल फार्म
मानसरोवर, जयपुर-20